

राजस्थान सरकार

30/8/18

जिलाधिकारी (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

पत्रावली नं. 22/018 वनाम श्री 351115 S1 शुभम शर्मा जी जी

11. 12. 18

किरम मुकदमा - आरसी नं. 1054 की धारा 22

सब-आर. एक्ट 1956 की धारा 91

गुणांक नं. 1/18

वर्ष 2018

फसल 2018

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की जाली नं.
26-7-18	<p>पटवारी हल्का <u>कौतमक</u></p> <p>की रिपोर्ट पर पत्रावली मुस्तीव की गई। गुणांक रिपोर्ट अप्रार्थी ने</p> <p>ग्राम/चक <u>कौतमक</u> के</p> <p>खसरा नं./मुसं. <u>253</u></p> <p>तादापी <u>0.25 हे (कौतमक)</u> बीघा</p> <p>राजकीय भूमि पर सम्बत <u>2075</u> में</p> <p>नाजायज कब्जा कर कायम कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस</p> <p>जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल-कुर्क करने हेतु लिखा</p> <p>जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>7-8-18</u> को पेश हो</p>	गै. नं. 2/18
7/8/18	<p>पत्रावली पेश हुई। खसरा नं. 253 के तहत नोटिस</p> <p>जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल-कुर्क करने हेतु लिखा</p> <p>जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>7-8-18</u> को पेश हो</p>	<p>व रजिस्टर के पृष्ठ</p> <p>सं. 129 की धारा 101</p> <p>पर मांग कायम की</p> <p>गयी।</p>
30/8/18	<p>पत्रावली पेश हुई। खसरा नं. 253 के तहत नोटिस</p> <p>जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल-कुर्क करने हेतु लिखा</p> <p>जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>7-8-18</u> को पेश हो</p>	<p>उत्तर</p> <p>TRA</p> <p>गै. नं. 2/18</p>

तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

TRA

गै. नं. 2/18

P.T.O.

30 $\frac{8}{18}$

ਅੰਤਿਮ ਅੰਕ (218) ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: ०/ / 2018

दिनांक: 30/8/2018.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का श्री 271214 ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2075 फसल खरीफ में गैर सायल 331214 पुत्र सुभा राम जाति गाल साकिन 427121 ने ग्राम 427121 के खसरा नं० 253 रकबा 0.25 हेक्टेयर जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबन्धित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकरफा कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित गैर सायल 331214 पुत्र श्री सुभा राम जाति गाल साकिन 427121 ग्राम 427121 खसरा नं० 253 रकबा 0.25 हेक्टेयर के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा मौके से काश्त फसल को नष्ट करने व अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली व काश्त फसल को नष्ट करने तथा भुराजस्व का 50 गुणा 13/- रुपये शास्ति से दंडित किया जाता है। इस बाबत संबन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तलवान वसुली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टीआरए शाखा को लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

3
तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर